

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-175/2009 व 1670/2009 /बून्दी

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त-तृतीय, कोटा

.....अपीलार्थी

बनाम

मै0 एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी लि0,
लाखेरी, बून्दी

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष

श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एम.एल.पाटोदी,
अधिकृत अधिवक्ता

..... प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 05/01/2016

निर्णय

अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग,कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के क्रमशः अपील संख्या 03/सी.एस.टी./2008-09/बून्दी व अपील संख्या 1/सी.एस.टी./2009-10/बून्दी में पारित किये गये पृथक-पृथक अपील आदेश दिनांक 31.07.2008 व 20.07.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं ।

इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने तथा एक ही व्यवहारी फर्म से सम्बन्धित होने से इनका निष्पादन एक ही संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावेगी।

अपील संख्या 175/2009 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त बून्दी(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी कम्पनी के वर्ष 2005-06 का केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कर निर्धारण दिनांक 27.3.2008 को पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.01.2000 के तहत रियायती दर से बिना सी-फार्म की गई बिक्री पर पूर्ण दर से करारोपण किया। इस प्रकार आरोपित कर रू0 33,47,585/- व रू0 7,96,423/- एवं ब्याज रू0 13,60,274/- तथा शास्ति रू0 1,930/- प्रत्यर्थी व्यवहारी कम्पनी के विरुद्ध आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी कम्पनी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31.07.2008 के द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोपित कर व ब्याज को अपास्त कर, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी राजस्व द्वारा कर एवं ब्याज को इस अपील में विवादित किया है।

12/2016

25/2

लगातार.....2

अपील संख्या 1670/2009 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-तृतीय, कोटा(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी कम्पनी के वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण दिनांक 24.3.2009 को पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.01.2000 के तहत रियायती दर से बिना सी-फार्म की गई बिक्री पर पूर्ण दर से करारोपण किया। इस प्रकार आरोपित कर रू0 87,770/- एवं ब्याज रू0 20,133/- तथा शास्ति रू0 540/- प्रत्यर्थी व्यवहारी कम्पनी के विरुद्ध आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी कम्पनी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20.07.2009 के द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोपित कर व ब्याज को अपास्त कर, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी राजस्व द्वारा कर एवं ब्याज को इस अपील में विवादित किया है।

अपीलार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को विधिसम्मत बताते हुए अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी व्यवहारी कम्पनी के अधिकृत अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि व्यवहारी कम्पनी ने आलौच्य अवधियों में राज्य सरकार की अधिसूचना F.4(1)FD/Tax/Div./99-266 दिनांक 21.01.2000 के आधार पर अन्तराज्यीय विक्रय बिना सी-फार्म के की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में दिनांक 11.05.2002 से संशोधन हो जाने के उपरान्त यह माना कि इस संशोधन के बाद कोई भी रियायती दर से अन्तराज्यीय बिक्री के लिए सी-डी फार्म आवश्यक है। उनका अग्रिम तर्क था कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत दिनांक 11.05.2002 को किये गये संशोधन भूलक्षी प्रभाव से नहीं होने के कारण उस तिथि से पूर्व केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8(5) के तहत जारी सभी अधिसूचनाएं प्रभावी रहती है जब तक संशोधन के आधार पर उक्त अधिसूचना को विलोपित या संशोधित नहीं कर दिया जाता। राज्य सरकार ने दिनांक 21.01.2000 को अधिसूचना सं. F.12(20)FD/Tax/2005-Part-118 दिनांक 01.12.2006 को विलोपित किया है इसलिए अन्तराज्यीय व्यवहार में बिना सी-फार्म के की गई बिक्री विधिक है। अग्रिम तर्क किया कि आयुक्त महोदय के परिपत्र क्रमांक एफ.11(13)टेक्स/सीसीटी/2005/2000 दिनांक 13.12.2005 को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में दिनांक 11.05.2002 से किये गये संशोधन के विपरीत विद्यमान कतिपय अधिसूचनाओं के बारे में स्पष्ट किया कि दिनांक 11.05.2000 से 26.05.2005 तक अन्तराज्यीय व्यवहार में की गई बिक्री किसी अधिसूचना विशेष के तहत की गई है कि लिए सी/डी फार्म की आवश्यकता नहीं रहेगी। दिनांक 26.09.2005 से अन्तराज्यीय व्यवहार के सभी व्यवहार के सभी बिक्री सी/डी फार्म के समर्थन से रियायती दर से की जा सकेगी। यह भी तर्क किया कि राज्य सरकार ने दिनांक 13.05.2008 को दो अधिसूचनाएं जारी कर दिनांक 13.5.2002 से 25.9.2005 तक की एवं दिनांक 26.9.2005 से 31.3.2007 के बीच बिना सी-फार्म के आरोपित

अतिरिक्त कर को अपलेखित किया है जो राज्य सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है कि बिना सी-फार्म के रियायती दर से की गई बिक्री पर करारोपण नहीं किया जावे। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा पूर्व पारित अपील संख्या 579 से 581/2009/कोटा मै0 जे.के.सिंथेटिक्स कोटा बनाम सहायक आयुक्त,विशेष वृत, कोटा निर्णय दिनांक 23.12.2013 का हवाला देते हुए निवेदन किया कि विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों व अधिसूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में दिनांक 11.05.2002 से किये गये संशोधन के आधार पर अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 को निष्प्रभावी मानते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया है जो विधिसम्मत नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 के आधार पर रियायती दर 6 प्रतिशत से सीमेन्ट की अन्तर्राज्यीय बिक्री की है। इस अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 को राज्य सरकार ने दिनांक 01.12.2006 से वापस लिया है। उक्त अधिसूचना इस प्रकार है:-

S.No. 2179: F.12(20)FD/Tax/2005-pt-118 dated 1-12-2006

S.O. In exercise of the powers conferred by S.8(5),CSTAct,1956, the State

Govt.{1} hereby rescinds this departments following notfns, namely:-


(i) F.4(1)FD/Tax.Div/2000-303 dated 30-3-2000{S.No. 1301,re, 6 % of CST on inter-State sale of Cement}

(ii) F.4(1)FD/Tax.Div/2000-303 dated 30-3-2000{S.No. 1335,re, 6 % of CST on inter-State sale of AC pressure pipes}

उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर आलोच्य अवधियों वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में अतिरिक्त करारोपण न्यायोचित नहीं होने के कारण, कर व ब्याज अपास्त होने योग्य है।

फलतः अपीलार्थी-राजस्व द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पृथक-पृथक आदेश क्रमशः दिनांक 31.07.2008 व 20.07.2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(ईश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य

-262

(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष